राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या–800/2015/जयपुर
2. अपील संख्या–801/2015/जयपुर

सहायक आयुक्त,
प्रतिकारापवंचन, राजस्थान वृत्त–तृतीय, जयपुर। ....अपीलार्थी
बनाम
मैसर्स जुबेरी इंजीनियरिंग कम्पनी,
204–206, अनुकम्पा–I, एम.आई.रोड़, जयपुर ...प्रत्यर्थी

खण्डपीठ
श्री खेमराज,अध्यक्ष
श्री मदनलाल, सदस्य

उपस्थित : :
श्री एन.के. बैद
उप राजकीय अभिभाषक ...अपीलार्थी की ओर से
श्री विनय कुमार गोयल, अभिभाषक ...प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 20.03.2017

निर्णय

1. अपीलार्थी–विभाग द्वारा यह अपीलें अपीलीय प्राधिकारी द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 59–60/अपील्स–II/आरवीएटी/जयपुर/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 17.11.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक आयुक्त प्रतिकरापवंचन, राजस्थान वृत तृतीय, जयपुर (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.03.2014 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 22, 55, 61(2) एवं 61(2)(बी) के तहत पारित आदेशों में निम्नानुसार कायम मांग राशियों में कर व ब्याज को यथावत रखते हुए शास्ति के बिन्दु पर अपीलें अपास्त की एवं प्रत्यर्थी की अपीलें आंशिक स्वीकार की गई।

2. दोनों प्रकरणों के तथ्य एवं विवादित बिन्दु समान होने के कारण इनको एक ही आदेश से निर्णित किया जा रहा है, निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जा रही है।

3. प्रकरणों के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि व्यवहारी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण दिनांक 07.12.2012 को वाणिज्यिक कर अधिकारी प्रतिकारापवचन राजस्थान–द्वितीय, जयपुर द्वारा किया गया। वक्त सर्वेक्षण व्यवसाय स्थल से प्राप्त दस्तावेजों की जांच पर पाया गया कि व्यवहारी द्वारा कार्य संविदा के निष्पादन के क्रम में विभाग से मुक्ति शुल्क प्रमाण पत्र प्राप्त कर संविदा कार्य का निष्पादन किया गया है एवं मुक्ति शुल्क प्रमाण पत्र से आच्छादित कार्य संविदा के निष्पादन में प्रयुक्त राज्य के भीतर से खरीद किये गये माल पर चुकाए गये कर पर आईटीसी का समायोजन व्यवहारी द्वारा माल सप्लाई के विरूद्ध बनने वाले आउटपुट टैक्स के विरूद्ध लिया गया। सशक्त अधिकारी द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि मुक्ति प्रमाण पत्र से आच्छादित संविदा के निष्पादन हेतु राज्य के भीतर आउटपुट टैक्स चुकाकर खरीद की गयी वस्तु, जिनका उपयोग मुक्ति शुल्क से आच्छादित कार्य संविदा के निष्पादन हेतु किया गया है, के विरूद्ध राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.12(63) एफडी/टैक्स–2005/80 दिनांक 11.08.2006 के सब क्लॉज 6 के तहत आईटीसी का समायोजन देय नहीं है। अतः

लगातार...............2

सशक्त अधिकरी ने व्यवहारी द्वारा गलत रूप से आईटीसी का उपयोग किया जाना मानते हुए रिर्वस कर, ब्याज एवं शास्तियों का आरोपण किया। उक्त आदेशों से व्यथित होकर व्यवहारी द्वारा अपीलें अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई, अपीलीय अधिकारी ने व्यवहारी की अपीलों को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए रिवर्स कर व ब्याज को उचित ठहराते हुए निम्नतालिकानुसार शास्ति को अपास्त कर दिया, शास्ति को अपास्त करने के आदेश से व्यथित होकर विभाग द्वारा यह अपीलें कर बोर्ड के समक्ष धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गई है।

क्र.सं.	अ.सं.	कर नि. वर्ष	शास्ति
1	59	09–10	20,64,582
2	60	10–11	13,00,930

4. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

5. अपीलार्थी–विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध है एवं सशक्त अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 61(2)(बी) के तहत जो शास्ति आरोपित की गई है उसका समर्थन करते हुए उन्होंने विभाग द्वारा प्रस्तुत अपीलों को स्वीकार करने का निवेदन किया।

6. प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने शास्ति के बिन्दु पर अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन किया एवं कथन किया कि सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश पूर्णतया अविधिक है। उन्होंने कथन किया कि सशक्त अधिकारी द्वारा प्रकरण के तथ्यों एवं विधिक स्थिति पर विचार किये बिना मनमाने तरीके से शास्ति आरोपित की है। अपने तर्कों के समर्थन में उन्होंने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय प्रस्तुत किये – वा.क.अ., ए.ई., श्रीगंगानगर बनाम मैसर्स दुर्गेश्वरी फूड लि. श्रीगंगानगर **(2012) 32 टीयूडी 3** एवं वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन जोन–प्रथम, जयपुर बनाम मैसर्स श्याम एजेन्सी एसबी सिविल रिट पिटीशन नंबर 42/2014 निर्णय दिनांक 26.08.2014 में प्रतिपादित सिद्धान्तों के आधार पर शास्ति को अनुचित बतलाते हुए विभागीय अपील निरस्त करने का निवेदन किया।

7. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रेकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रत्यर्थी द्वारा तर्कों के समर्थन के प्रस्तुत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत वा.क.अ., ए.ई., श्रीगंगानगर बनाम मैसर्स दुर्गेश्वरी फूड लि. श्रीगंगानगर **(2012) 32 टीयूडी 3** का सम्मान अध्ययन किया गया। इस निर्णय का सुसंगत अंश निम्न प्रकार है :–

"However, as far as question of penalty u/s 61 of the Act is concerned, the imposition of the same by the Assessing Authority under Section 61 of the Act of 2003 to the extent of double the amount of tax is concerned, the same cannot be sustained and deletion of penalty in these circumstances, where a debatable question was agitated by the rspondent-assessee before the appellate forums created under the Act, it cannot be said the assessee deliberately filed wrong returns or particulars of taxable turnover or malafide claimed 100% input tax credit. A benefit or doubt in this regard certainly goes in favour of respondent-assessee."

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय वाणिज्यिक कर अधिकारी प्रतिकरापवंचन जोन–प्रथम, जयपुर बनाम मैसर्स श्याम एजेन्सी एसबी सिविल रिट पिटीशन नंबर 42/2014 निर्णय दिनांक 26.08.2014 का ससम्मान अध्ययन किया गया। इस निर्णय का सुसंगत अंश निम्न प्रकार है :–

लगातार...............3

"...........Such a dispute did not supply any of the pre conditions for levy of penalty under section 61 of the 2003 Act. The Tax Board has, for the principle on which penalty can be levied, relied upon the judgment of the Hon'ble Supreme Court in the case of Shree Krishna Electricals (supra). Oddly the revision petition does not even have a whisper of a reason for the purported inapplicability of the aforesaid judgment to the matter in issue before the Tax Board. Quite apparently, the petiitoning revenue department seeks to overlook the facts of the case and the clear enunciation of law by the Hon'ble Supreme Court in the case of Shree Krishna Electricals (supra) as also elsewhere and mechanically agitate this misdirected revision petition. the question of law as sought to be agitated stands already settled by the judgment of the Hon'ble Supreme Court in the cases of Bharjatiya Steel Industries (supra) and Shree Krishna Electricals (supra). "

अतएव दुर्गेश्वरी फूड लि., श्रीगंगानगर (2012) 32 टीयूडी व माननीय न्यायालयों के सतत निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्तों के दृष्टिगत अपीलीय अधिकारी द्वारा शास्ति को अपास्त करने में कोई त्रुटि नहीं पाते है। अतः शास्ति के बिन्दु पर विभागीय अपीलें अस्वीकार की जाती हैं।

8. परिणामस्वरूप अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेशों में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होने के कारण उन्हें यथावत रखते हुए विभाग द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीलें अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

20.3.2017

(मदन लाल)
सदस्य

(खेमराज)
अध्यक्ष